

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

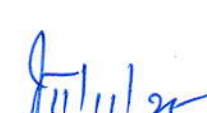
धारा 126 BNSS

वाद सं० 01/2025-26

प्रथम पक्ष - छोटेला साहु बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष - कमल साहु बगैरह ।

आदेश की सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 13/2025 दिनांक 22/03/2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) छोटेला साहु उम्र 56 वर्ष पिता स्व० रामनरेश साहु (2) चोंदमुनी देवी उम्र 51 वर्ष पति छोटेला साहु दोनों ग्राम कोलेंग नवाडीह थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) कमल साहु उम्र 50 वर्ष पिता तेतरू साहु (2) गोपाल साहु उम्र 30 वर्ष पिता बालो साहु (3) सीवब्रत साहु उम्र 50 वर्ष पिता बालो साहु (4) घुरन साहु उम्र 38 वर्ष पिता भौरा साहु सभी ग्राम कोलेंग नवाडीह थाना पालकोट जिला गुमला के बीच खाता सं० 322 प्लॉट सं० 2290 रकबा 0.51 एकड़ भूमि को लेकर वाद लाया गया है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि-व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को धारा 126 BNSS प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को न्यायालय में अपने स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। उक्त वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समय अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।   अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	